

P.O. लाल कौर पट्टी जी वार्ड नंबर 815/18
में पेमेंट सिद्ध है।

राजस्व लोक अदालत / कोर्ट केस
स्थान जी प्रसाद दिनांक 3/5/18

राजस्व लोक अदालत
ध्याय आपके द्वार अभियान

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत
में पेमेंट फॉर सरकारी उपकरण है।

तारीख

हुय

राजस्थान लोक न्यायालय
भाय भायके दाद बनिवासे

हुय या कारीवाही मय इनिशियल्स जज

नाम
अदालत
हुय को नाम
में जारी

परीक्षा जाकार द्वारा जवाब पेश किया
शाह काठ रहे।

उक्त का अवलोकन किया गया
वाक पत्र के साथ नकल जमावदी ग्राम
भगवानपुरा सं. 2072-75, खाता नं.
79, दाय्यापुलि नकल नामाठ ग्राम भग-
वानपुरा, 190/90 रि. 26.11.10, दाय्या-
पुलि खरान कार्ड, नं. 00248 ग्राम
पं. बड़ोरिया कलां, दाय्यापुलि माधार
कार्ड नं. 6614 4616 2539, दाय्या-
पुलि वोटर् आई.डी. कार्ड RJ/19/
115/0216494 जारी रि. 15.5.95
115 राठ भठडी निवचन सेब पेशा
किये गये हैं। शब्य-पत्र वारियां
का भी अवलोकन किया गया।

उक्त के अवलोकन से यह
जाहिर आता है, कि नाठ नं. 190/90
में धारियां/वारिया का गीलाबाई के
पुत्र पर खीलाबाई अंकित कर
दिया गया है। नामाठ एवं खरान कार्ड
द्वारा अन्य कन्वोजाल की दाय्या
पुलियां के अवलोकन से यह
जाहिर आता है, कि वारिया का

तारीख
हुकम

राजस्व लोक अदालत
न्याय बापके द्वारे सुनियान
या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

भाग्य गीताबाई हैं, तथा उसे सहवन
के सीताबाई दर्ज कर दिया है।
अतः न्यायहित में वाद वारिमाँ
स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत
होता है।

दावा वारिमाँ स्वीकार किया
जाकर यह आदेश दिया जाता
है, कि ग्राम भगवानपुरा की सूचि
खट नं० 39/122 व 95/123 किला
2 कला 2.55 हेक्टर पर वारिमाँ का
नाम सीताबाई के स्थान पर गीताबाई
दर्ज कर रिकार्ड में अमल इलामद
किया जावे। तदनुसार डिक्ली पची
मुनिब हो।

निर्णय आज दि० 03/05/2018
को राजस्व लोक अदालत कैम्प पीपल्स
पर सुनाया गया।

उप
अज्ञेय
(कृष्ण गोपाल जोषन)
R.A.S.
उपाव०5 अधिकारी
210 म०डी